

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३/२५९९ /

जबलपुर, दिनांक २९/०६/२०२४

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 1285 जबलपुर, दिनांक 30.04.2024 एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/4574 जबलपुर, दिनांक 06.06.2024 के तारतम्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के निम्न आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्यों को निम्न तालिका के कॉलम नं. 3 में दर्शाये पदांकित पदनाम आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.	कार्यरत नवगठित सेवा के सदस्य का नाम	पदांकित पदनाम
1	2	3
1.	कु. गरिमा सौंधिया	खलासी
2.	श्री अमित कुमार बर्मन	चौकीदार
3.	श्रीमती नीता मलिक	स्वीपर
4.	श्रीमती सुषमा गौतेल	खलासी
5.	श्री सुजीत कुमार	पम्प अटेंडेंट
6.	श्री भूपेन्द्र सोनी	माली
7.	श्री सहदेव प्रसाद कुशवाहा	माली
8.	श्री अखिलेश कुशवाहा	चौकीदार
9.	कु. सुलेखा सेन	माली
10.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	माली
11.	कु. रितु ठाकुर	खलासी
12.	कु. गिरजा	वाटरमैन
13.	श्री रामू यादव	माली
14.	श्री दिनेश विष्ट	वाटरमैन
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा	माली
16.	श्री राजेश कुमार कुशवाहा	खलासी

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

५ रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक ३/२६० /

जबलपुर, दिनांक २९/०६/२०२४

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी-एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. कु. गरिमा सौंधिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
11. श्री अमित कुमार बर्मन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्रीमती नीता मलिक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्रीमती सुषमा गौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
14. श्री सुजीत कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (पंप अटेंडेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
15. श्री भूपेन्द्र सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
16. श्री सहदेव प्रसाद कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
17. श्री अखिलेश कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
18. कु. सुलेखा सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
19. श्री धर्मन्द्र सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
20. कु. रितु ठाकुर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
21. कु. गिरजा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(वाटरमैन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
22. श्री रामू यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
23. श्री दिनेश विष्ट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (वाटरमैन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
24. श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
25. श्री राजेश कुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु इस निर्देश के साथ कि भविष्य में सभी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य किसी भी प्रकार का कार्यालयीन पत्राचार पदांकित पदनाम लेख कर ही करें।


रजिस्ट्रार प्रशासन